LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक- 24-01-2025

थाना मदनपुर पुलिस व एसओजी/सर्विलांस ललितपुर की संयुक्त टीम द्वारा 12 घण्टे के अन्दर हत्या के अभियोग में प्रकाश में आये वांछित 02 नफर अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड के दौरान किया गया गिरफ्तार।

थाना मदनपुर पुलिस, एसओजी व सर्विलांस ललितपुर की संयुक्त टीम की हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्तों से हुयी मुठभेड़, गोली लगने से अभियुक्तगण घायल/गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जें से मुठभेड़ में प्रयुक्त 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं श्रीमान् पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक, ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर (मड़ावरा) श्री अभय नारायण राय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, घटना के सफल अनावरण हेतु थाना मदनपुर, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 07/25 धारा 103(1) BNS में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण- 1- हरि सिंह पुत्र रामदयाल सहरिया उम्र करीब 30 वर्ष, 2- वीरू पुत्र रामदयाल सहरिया उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम दारूतला थाना मदनपुर जनपद ललितपुर को पुलिस मुठभेड के दौरान 12 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.01.2025 को समय करीब 01.00 बजे वादी ने सूचना दी थी कि मेरी पुत्री उम्र करीब 20 वर्ष, समय करीब 16.00 बजे शौच के लिये गयी थी जो कस्बा मदनपुर रोड से अन्दर कच्ची रास्ता पर मृत अवस्था में पड़ी हुयी मिली है।

सूचना पर थाना मदनपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतिका के शव को कब्जा पुलिस लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल पर पहुँचकर साक्ष्य संकलित व अन्य आवश्यक कार्यवाही की गयी थी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मदनपुर में मु0अ0सं0 07/25 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात, पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 06 पुलिस टीमें को लगाया गया था। गठित टीमों द्वारा साक्ष्य संकलन व अन्य एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण- 1- हरि सिंह पुत्र रामदयाल सहरिया उम्र करीब 30 वर्ष, 2- वीरू पुत्र राम दयाल सहरिया उम्र क़रीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम दारूतला थाना मदनपुर जनपद ललितपुर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

<u>पुलिस मुठभेड़ का विवरण-</u> घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों को लगाया गया था इनके द्वारा संभावित स्थानों पर लगातार दबिस दी जा रही थी दिनांक 24.01.2025 की सुबह पुलिस टीमों को पर थाना मदनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दारूतला के जंगल की झाडियों में अभियुक्तगण के छिपे होने की सूचना प्राप्त हुयी थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों द्वारा मौके पर पहुँचकर खोजबीन की गयी तो सदिग्ध व्यक्ति झाड़ियों में छिपे हुये दिखायी दिये तथा सदिग्धों को झाड़ी से बाहर आने के लिए आवाज लगाई गई तो दोनों अभियुक्त हरि सिंह व वीरू ने पुलिस को आते देख पकड़े जाने के डर से तमंचे से पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्तगण- हरि सिंह उम्र करीब 30 वर्ष व वीरू उम्र करीब 20 वर्ष पुत्रगण रामदयाल सहरिया निवासीगण ग्राम दारूतला थाना मदनपुर जनपद ललितपुर के दायें पैर के घुटने के पास गोली लगी। गोली लगने से घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण को पुलिस सुरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तगण के पास से, मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा 315 बोर भी बरामद किया गया है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूँछताछ करने पर बताया कि कल दिनांक 23.01.25 को दोपहर में करीब 04.30 बजे दिन में दारूतला के जंगल के रास्ते क्रिकेट मैच देखकर आ रहे थे तभी हमारे गाँव की लडकी शौच के लिए जंगल में आयी हुई थी। हम दोनों शराब के नशे में थे। लड़की को जंगल में अकेला देखकर हम दोनों ने उसके साथ गलत काम किया। बाद में हमको लगा कि यह हम दोनों को पहचान गयी है और यह बात गांव मे सभी को बता देगी और हम लोग फंस जायेंगे इसी डर की वजह से हम दोनों ने उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, और पुलिस के पकड़े जान के डर से मौके से भाग कर यहीं जंगल में छिपे हुए थे, मौका देखकर भागने की फिराक में थे तभी आप लोगों के द्वारा हमें पकड लिया गया है। साहब गलती हो गयी माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1- हरि सिंह पुत्र रामदयाल सहरिया उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम दारूतला थाना मदनपुर जनपद ललितपुर।

2- वीरू सहरिया पुत्र रामदयाल सहरिया उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम दारूतला थाना मदनपुर जनपद ललितपुर।

अभियुक्तगण- का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 08/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।
2. मु0अ0सं0 07/20025 धारा 103(1) BNS।

बरामदगी का विवरण- अभि0गण से बरामदगी- मुठभेड़ में प्रयुक्त 02 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष मदनपुर श्री राजपाल सिंह मय टीम।
2. श्री आलोक सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।
3. श्री अतुल तिवारी प्रभारी स्वॉट मय टीम।